



Neutral Citation No. - 2026:AHC:125744

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या - 18645 वर्ष 2026

बिंदु यादव

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: अक्षय कुमार शुक्ला, सौरभ सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं. - 5

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के अधिवक्ता श्री अक्षय कुमार शुक्ला और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अमित कुमार दुबे के तर्कों को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।
2. यह ज़मानत आवेदन मुकदमा अपराध सं. 99/2025, बी.एन.एस. की धारा 103(1), 115(2), 352 के तहत थाना धनपुर, ज़िला चंदौली में विचारण के लंबित रहने के दौरान आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने की मांग के साथ दायर की गई है।
3. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि एफ.आई.आर., बी.एन.एस.एस. की धारा 173(4) के तहत एक आवेदन के ज़रिए दर्ज की गई थी। एफ.आई.आर. में आरोप है कि आवेदक ने गला घोटकर अपनी पत्नी (जो सूचनाकर्ता की बहन थी) की हत्या कर दी। हालाँकि, मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि मौत का कारण पता नहीं चल सका और केमिकल जांच के लिए विसरा

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



सुरक्षित रखा गया था। विसरा रिपोर्ट के अनुसार, उसके शरीर में एल्युमिनियम फॉस्फाइड पाया गया है। आगे यह भी कहा गया है कि आवेदक की शादी मृतक के साथ लगभग बीस साल पहले हुई थी और मृतक ने कुछ मामूली घरेलू विवाद के कारण आत्महत्या कर ली थी। यह भी कहा गया है कि इस वाद में आरोपपत्र दाखिल की जा चुकी है, इसलिए अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की कोई ज़रूरत नहीं है। आवेदक 28.7.2025 से जेल में बंद है और अगर उसे ज़मानत दी जाती है, तो वह ज़मानत की स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता उन्होंने ज़मानत की आवेदन का ज़ोरदार विरोध किया और कहा कि मृतक की मौत की वजह का पता नहीं चल सका था, इसलिए केमिकल जांच के लिए विसरा सुरक्षित रखा गया था; विसरा रिपोर्ट के अनुसार, उनके शरीर में एल्युमीनियम फॉस्फाइड पाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि आवेदक मृतक को प्रताड़ित और परेशान करता था, और यह बात उसके बच्चों के बयानों से सामने आई है।

5. एफ.आई.आर. के अनुसार, आवेदक की शादी मृतक महिला से बीस साल पहले हुई थी। आरोप है कि आवेदक उसे प्रताड़ित और परेशान करता था और आवेदक व अन्य आरोपियों ने गला घोटकर उसकी हत्या कर दी थी। हालाँकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, गला घोटने का कोई सबूत नहीं मिला और मौत का कारण पता नहीं चल सका; विसरा सुरक्षित रखा गया था और विसरा रिपोर्ट के अनुसार, मृतक के शरीर में एल्युमिनियम फॉस्फाइड पाया गया है। विवेचना के दौरान यह बात सामने आई है कि आवेदक और मृतक के बीच अक्सर घरेलू झगड़े होते थे। इस वाद में आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है और आवेदक 28.7.2025 से जेल में बंद है।

6. वाद के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, दोनों पक्षों के अधिवक्तागण की दलीलों, अपराध की प्रकृति, सबूतों, आरोपी की संलिप्तता, जेलों में भीड़ और विचारण न्यायालय में लंबित आपराधिक मामलों की भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए; साथ ही **कपिल वाधवान बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (2025 एस.सी.सी ऑनलाइन एस.सी. 3038)** वाद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और **माया तिवारी बनाम यूपी राज्य (2024 एस.सी.सी ऑनलाइन इला0 6765)** वाद में इस न्यायालय की जमानत संबंधी दिशा-निर्देश को देखते हुए, और वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरी राय है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



7. तदनुसार, यह आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है।

8. उक्त अपराध में शामिल **आवेदक बिंदु यादव** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही राशि की दो प्रतिभू प्रत्येक जमा करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक वाद की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं देगा, जिससे वह व्यक्ति अदालत या किसी पुलिस अधिकारी को वे तथ्य बताने से रुके या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करे।

(ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए जांच/विचारण में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

(iii) जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि या अपराध में शामिल नहीं होगा।

(iv) आवेदक अपने द्वारा भरे गए बंधपत्र की शर्तों के अनुसार पेश होगा।

9. उपरोक्त वर्णित किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर जमानत रद्द की जा सकती है।

10. बंधपत्र स्वीकार करने से पहले संबंधित न्यायालय आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास के प्रमाण की पुष्टि करेगी। संबंधित न्यायालय आवेदक और जमानतदारों के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड की भी पुष्टि करेगी।

11. यह भी निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की जल्द रिहाई सुनिश्चित करने के लिए 'जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली' के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई का आदेश भेजे।

12. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह 'जमानत देने की नीति, संदर्भ: स्प्रेरणा रिट याचिका रिट याचिका (आपराधिक) सं. 4/2021' (निर्णय 31.01.2023, प्रतिवेदित: (2024) 10 एस.सी.सी. 685) के वाद में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए, इस आदेश की एक प्रति संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-प्रिजन पोर्टल द्वारा 24 घंटे के भीतर आवेदक को भेजे।

(जितेंद्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

5 जून, 2026

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



मधुरिमा

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”